ई मेल/सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण

# उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय,

महानगर लखनऊ 226006

पत्रांक–टीएस–सीसीटीएनएस–06/2010–12 दिनांकःनवम्बर 22 ,2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

**विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर "अनुसन्धान से जुड़े फॉर्म को भरना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए** SOP (Standard operating procedures **मानक संचालन प्रकियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर** (CAS) 4.5 **में सूचना दर्ज किये जाने विषयक।**

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस योजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सीसीटीएनएस पोर्टल पर "अनुसन्धान से जुड़े फॉर्म को भरना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड किये जाने हेतु निर्देश" अंकित करने के लिए SOP (Standard operating procedures मानक संचालन प्रकियाएं) के अनुसार कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (CAS) 4.5 में सूचना दर्ज करने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त के अनुक्रम में "**अनुसंधान टैब** – प्रकरण दैनिकी – प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें – मुख्य कार्य प्रदर्शन टैब – एमएलआर/पीएमआर रिपार्ट प्राप्त" के चयन के उपरान्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपलोड किया जाय। उपरोक्त निर्देश के अनुसार सूचना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भ में इस प्रकिया को सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष तथा जनपद के थाना में नियुक्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) की सूचना अंकित किये जाने की जिम्मेदारी होगी।

3. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों/कर्मचारियों को जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी/ जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) इस कार्यवाही व प्रकिया में सूचना अंकित कराये जाने व का नियमित पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी होगी।

4. जनपद पुलिस प्रभारी मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा काइम मीटिंग में अधिकारियों को जागरूक करें इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

समन्वयक अधिकारी– श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से सीयूजीनं0–7839858257 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।
संलग्नक–यथोपरि मेल द्वारा प्रेषित।

22/11

**(आशुतोष पाण्डेय)**
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्री रामदूत सिंह, प्रोग्रामर ग्रेड–2, प्रभारी नेटवर्क आपरेटिंग सेन्टर (NOC) उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ।
2. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

## अनुसन्धान से जुड़े फॉर्म भरना एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपलोड करना

1. विवेचक द्वारा विवेचना सम्बन्धी कार्यों को कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मे दर्ज करने हेतु “**अनुसन्धान**” माड्यूल/टैब का उपयोग किया जा सकता है | इसमें विवेचक द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य प्रदर्शित होते हैं जैसे- IIF-1 से IIF-5 तक के फॉर्म, जमानत विवरण, मामले का पुनः आवंटन, पूछताछ प्रपत्र, प्रकरण दैनिकी, धारा संशोधन इत्यादि |

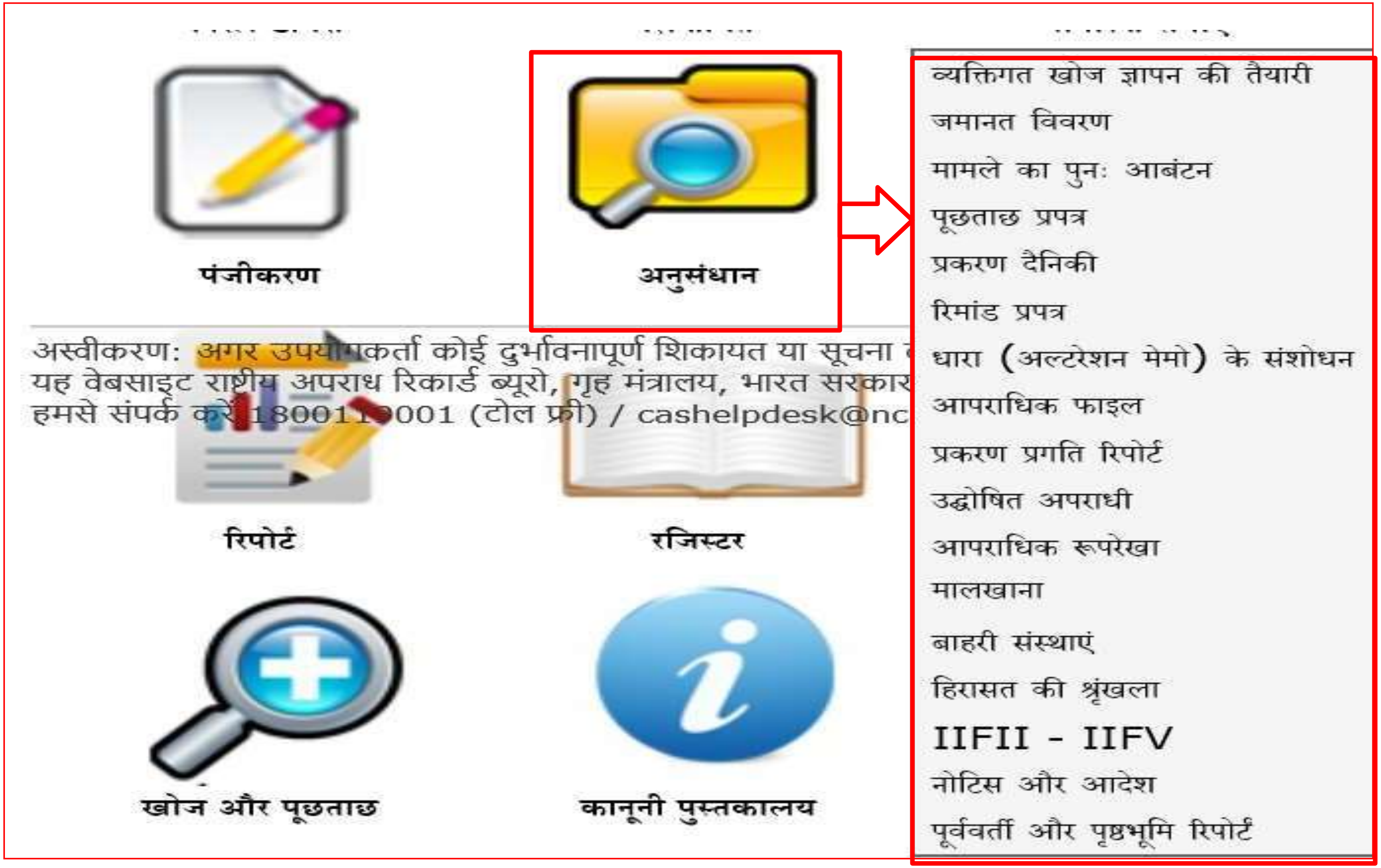

2. मारपीट, बलवा, लूट, डकैती, हत्या आदि से जुड़े मामलों में विवेचना के दौरान, चोट की दशा में मेडिको लीगल रिपोर्ट(MLR) अथवा मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट(PMR) को अपलोड करने की आवश्यकता होती है |
3. इसके लिए **“मुख्य पृष्ठ”→”अनुसन्धान”→”प्रकरण दैनिकी”→”प्रकरण दैनिकी विवरण जोड़ें”→”मुख्य कार्य प्रदर्शन”** के अंदर बने ड्राप डाउन लिस्ट बॉक्स पर क्लिक करना होगा जिसमें मुख्य कार्यों की सूची प्रदर्शित होगी |

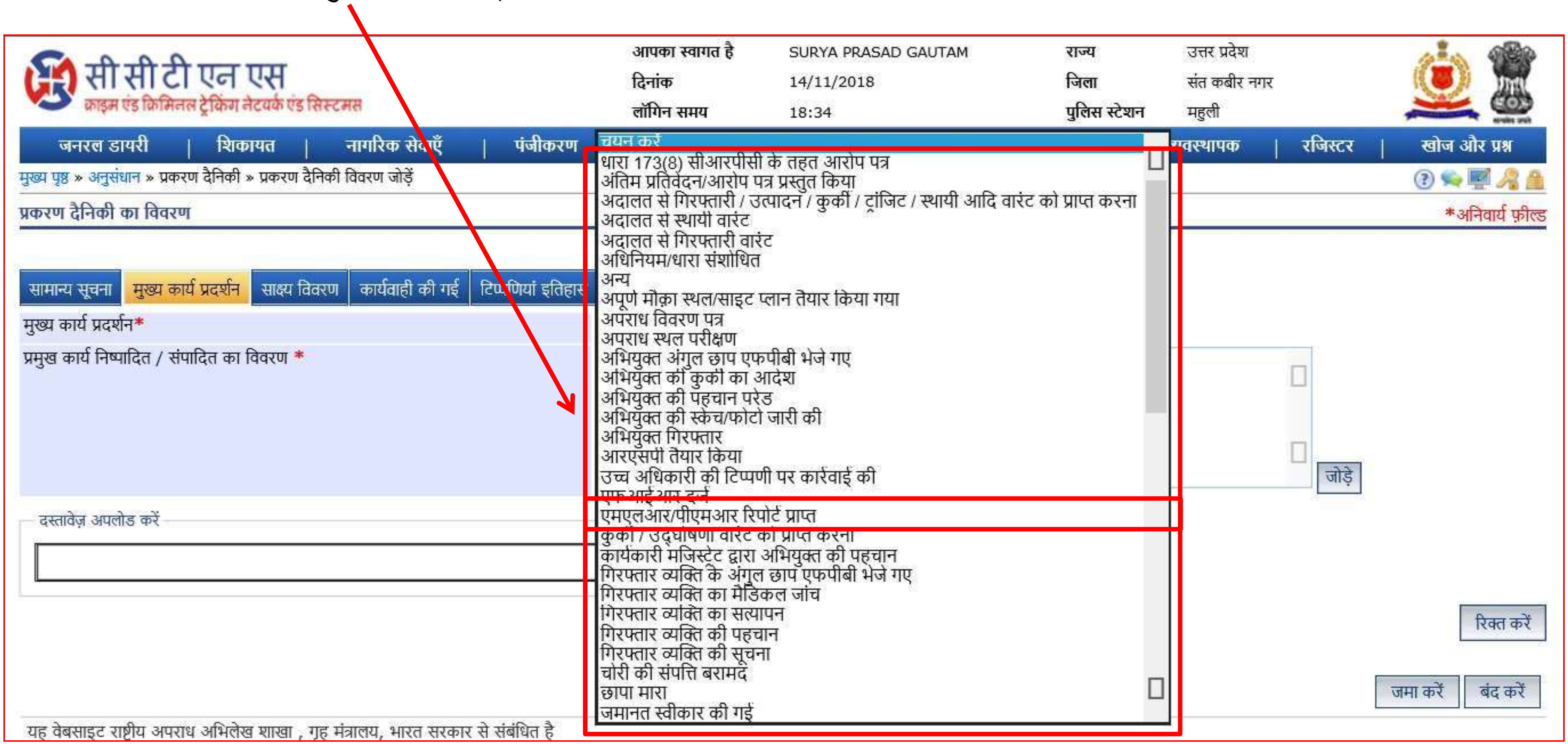

4. उक्त सूची में से **“एमएलआर/पीएमआर रिपोर्ट प्राप्त”** का चयन करेंगे | **“प्रमुख कार्य निष्पादित/ सम्पादित का विवरण”** में मेडिको लीगल रिपोर्ट(MLR) / पोस्टमार्टम रिपोर्ट(PMR) से जुडा विवरण एवं सम्पादित कार्य दर्ज कर **“जोड़ें”** बटन पर क्लिक करें |

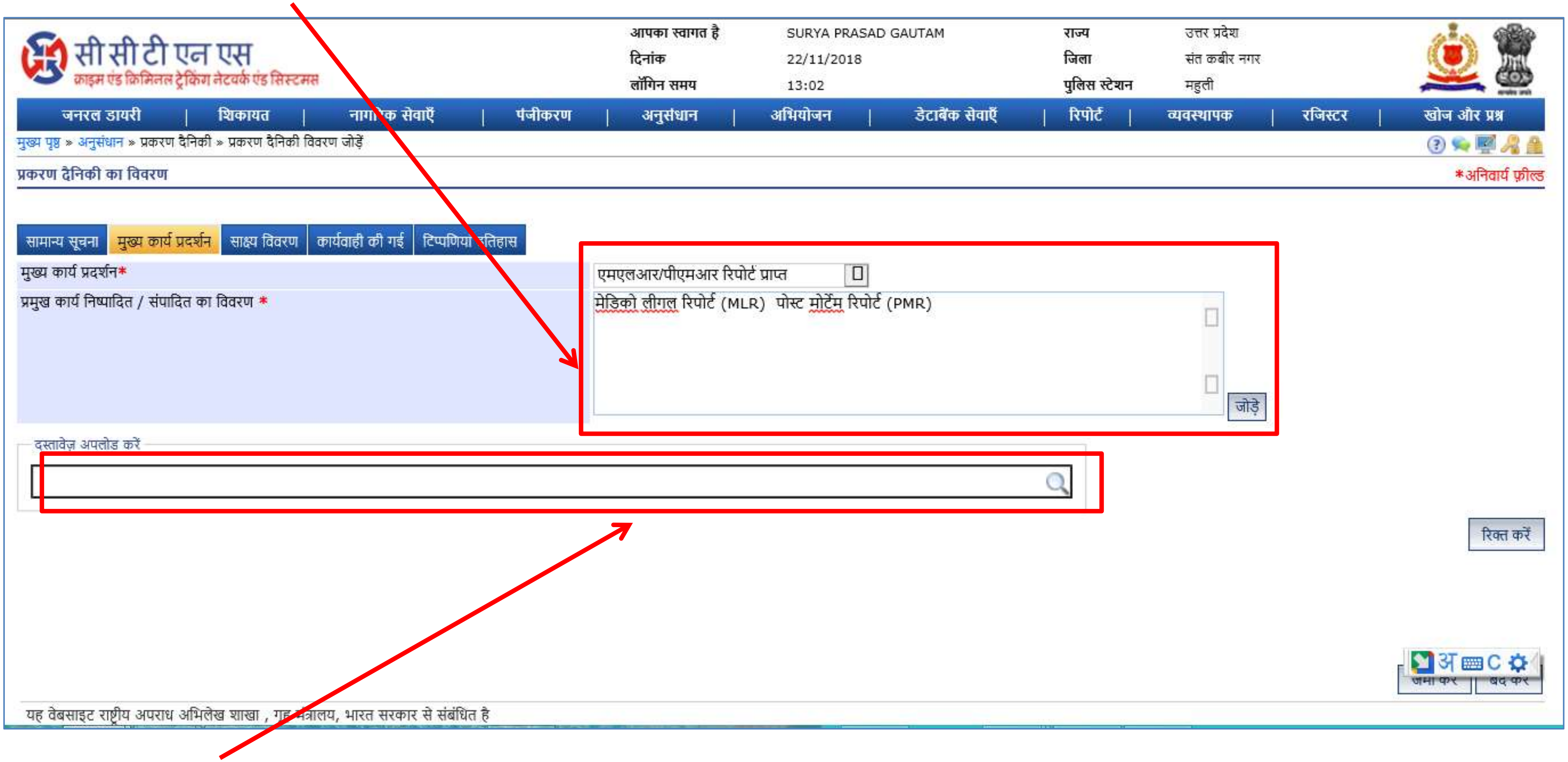


5. मेडिको लीगल रिपोर्ट(MLR)/पोस्टमार्टम रिपोर्ट(PMR) को अपलोड करने हेतु “लेंस” बने बटन पर क्लिक कर दस्तावेज अपलोड करें |

6. दस्तावेज अपलोड करने से सम्बंधित जानकारी भरने हेतु विंडो खुलेगी | सभी जानकारी भर कर **“अपलोड करें”** बटन पर क्लिक करें | यदि बिना अपलोड किये बाहर आना हो तो **“बंद करें”** बटन पर क्लिक करें |

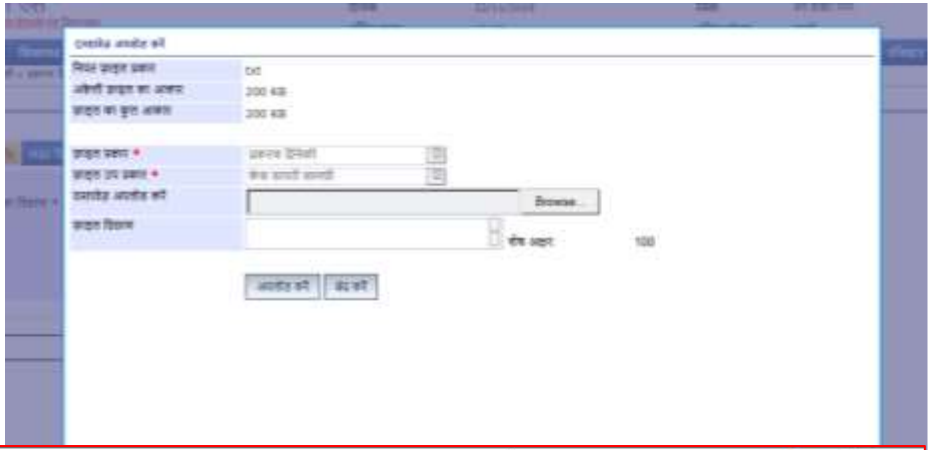

7. मेडिको लीगल रिपोर्ट(MLR)/पोस्टमार्टम रिपोर्ट(PMR) से सम्बंधित कार्यवाही दर्ज करने के लिए “कार्यवाही की गई” टैब में “मेडिको लीगल राय ली गई” तथा सम्बंधित विवरण दर्ज कर एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर, **“जमा करें”** बटन पर क्लिक करें |

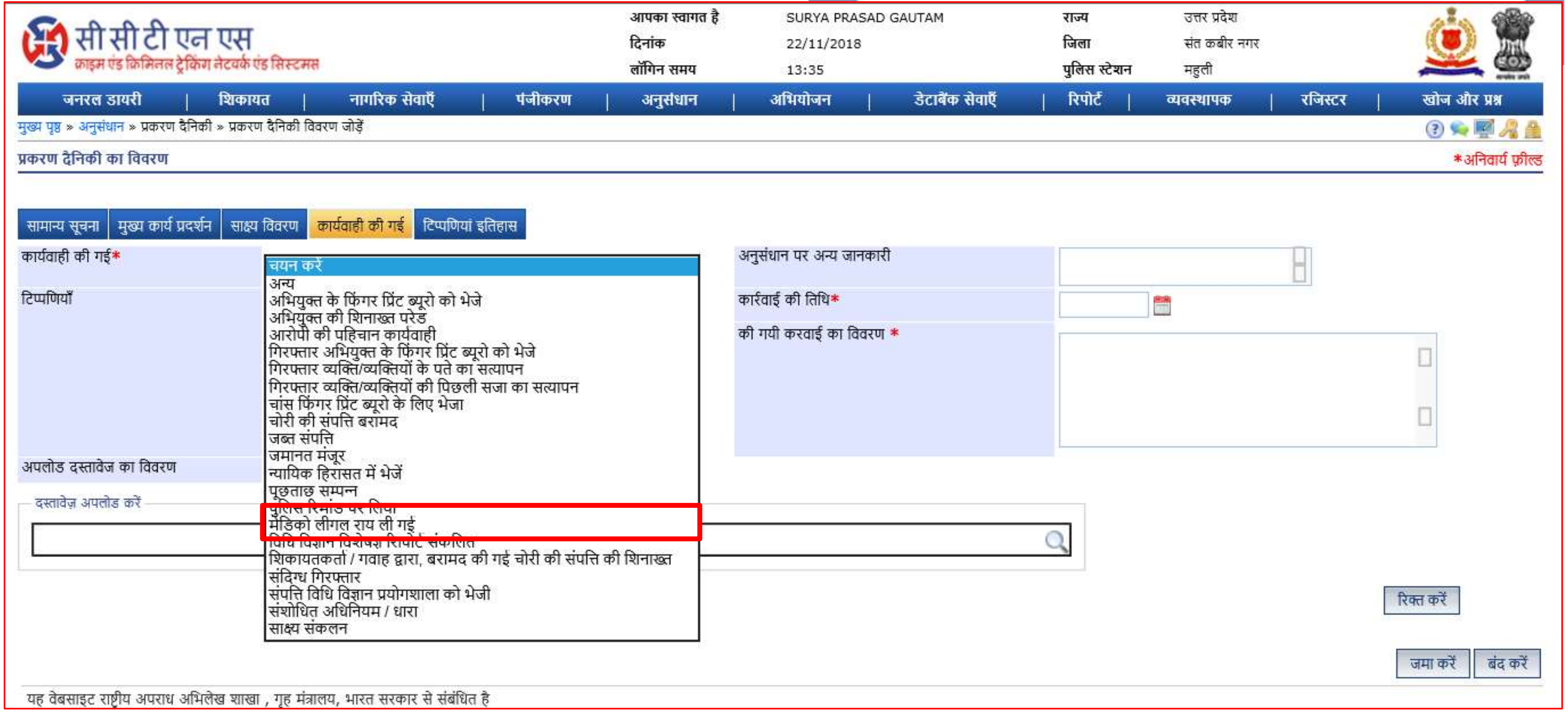


**--धन्यवाद--**